रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2008/चैत्र 12, 1930
No. 127] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2008/CHAITRA 12, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

जाँच शुरूआत (निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. से मेजरिंग टेप्स के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

सं. 15/2/2008-डीजीएडी.-यत: वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 31 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14/31/2002-डी जी ए डी के तहत चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित मेजरिंग टेप्स (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर अर्नंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने 1 सितम्बर, 2003 को अंतिम जांच परिणाम निकाले और 7 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 147/2003 के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. समीक्षा एवं जांच शुरूआत हेतु अनुरोध

यत: सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त न किया गया हो, तो शुल्क को इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर समाप्त हो जाता है।

परन्तु यदि समीक्षा में यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार मै. एफ. एम. आई. लि., लुधियाना और मै. फ्री मेन्स मेजर्स प्रा. लि., लुधियाना ने ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत पुष्टीकृत याचिका के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है। रिट याचिका सं. 2006 की 16893 (इंडियन मेटल एंड फैरो एलायज लि. **बनाम** निर्दिष्ट प्राधिकारी) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और ऐसी समीक्षा नियमावली के नियम 23 के अनुसार की जानी अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने के लिए कि क्या लागू शुल्क की

समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी, अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही शुरू करते हैं ।

3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद " मेजरिंग टेप्स " (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है । इस्पात के मेजरिंग तथा फाइबर ग्लास के सभी प्रकार के टेप और उनके भाग या उनके संघटक वर्तमान याचिका की विषय वस्तु हैं । मेजरिंग टेप्स का विनिर्माण सम्मिश्रित उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन इस्पात ब्लेड से किया जाता है जिसे क्षरण और जंग से बचाने के लिए फॉस्फेटेड और विशेष मीने से कोटेड किया जाता है । इसका उपयोग सामान्यतः उच्च प्रशीजन व्यावसायिक कार्यों, निर्माण एवं सर्वेक्षणों में फोरमेन, मिस्त्री, बढ़ई, यांत्रिकी विभागों तथा टेलरों आदि द्वारा किसी वस्तु के आकार को मापने के लिए किया जाता है ।

मेजरिंग टेप्स को किसी टेप की लम्बाई और चौड़ाई, उपर्युक्त कच्ची सामग्री और टेप पर अंकित आयामों के साथ प्रशीजन के रूप में परिभाषित किया जाता है । यह सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 90, उपशीर्ष 9017.80 तथा 9017.90 के अंतर्गत वर्गीकृत है । यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

4. प्रक्रिया

इस जांच में इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी इस बात की जॉच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को सतत रूप से जारी रखना आवश्यक है और यदि शुल्क समाप्त या परिवर्तित किया जाता है या दोनों ही स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं है ।

(i) इस समीक्षा में दिनांक 01 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 14/31/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे;

(ii) शामिल देश चीन जन. गण. है;

(iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 तक (18 माह) की है ।

(iv) इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

5. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास/उच्चायोग के जरिए उनकी सरकार/प्रतिनिधियों भारत में उक्त उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।

6. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

7. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है । अन्य हितबद्ध पार्टियों को सूचना की सार्थक समझ प्रदान करने के लिए गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतरण या उसके अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए । यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है ।

8. उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2008

Initiation (Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review Anti-Dumping Investigations into imports of Measuring Tapes from China PR.

No. 15/2/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) recommended provisional anti-dumping duty on import of Measuring Tapes (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), vide Notification No. 14/31/2002-DGAD dated 31st January 2003. The Authority came out with the final findings on 1st September, 2003 and definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 147/2003 dated 7th October 2003.

2. **Request for Review and Initiation**

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

In terms of the above provisions, M/s FMI Limited, Ludhiana and M/s. Freemans Measures Pvt Ltd., Ludhiana have approached the Authority with a petition requesting for such a review. In view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the Writ Petition No 16893 of 2006 (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd Vs Designated Authority) holding that sunset review is mandatory and such review is required to be carried out in terms of Rule 23 of the Rules, the Designated Authority hereby initiates the sunset review proceedings, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

3. Product under consideration

The product under consideration is "Measuring Tapes" (also referred to as subject goods hereinafter). All types of steel measuring and fibre glass tapes and their parts or components are the subject matter of the present petition. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphated and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. It is generally used for measuring the dimensions of an object by foreman, mason, carpenter, forestry departments and tailors etc in high precision professional jobs, construction and surveys.

Measuring tapes are defined in terms of length and width of a tape, raw material used and the precision with which dimensions are marked on the tape. It is classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under sub-headings 9017.80 and 9017.90. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

4. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

i. The review will cover all aspects of Notification No 14/31/2002-DGAD dated 1st September, 2003.

ii. The country involved is China PR.

iii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April, 2006 to 30th September, 2007 (18 months).

iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

5. Submission of information

The exporters in the subject country, their government through their Embassy/High Commission in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

1228GI/08-2

6. **Time limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty (40) days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

7. **Submission of information on non-confidential basis**

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

8. **Use of facts available**

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

9. **Inspection of public file**

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.